न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/18/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/35

अपीलार्थी
श्री अनुराग शर्मा,
निवासी–2 बेनर्जी का बाग, कमला नर्सिंग होम के पास,
अलवर–301001

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर

प्रवेश तिथि :: 23.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.02.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन–पत्र दिनांकः 24.11.2022 के माध्यम से सत्यतेज मर्केन्टाईल प्राईवेट लिमिटेड, न्यू शांति कुन्ज, अलवर के प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 22.01.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस ज़ारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 18318 दिनांकः 03.02.23 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील, सूचना आवेदन मय प्रत्यर्थी के जवाब का परीक्षण किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 24.11.2022 के माध्यम से किसी विशिष्टीकृत आदेश की प्रति नहीं चाही जाकर, काल्पनिक प्रश्न कर सूचना चाही जा रही है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 02.02.2009 के आलोक में देय नहीं है।
8. उक्त आलोक में **प्रथम अपील, खारिज** कर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील में प्रस्तुत जवाब की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गई है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस न्यायालय को प्रेषित जवाब मय संलग्नक प्रति संबंधित अपीलार्थी को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. आज दिनांकः 14.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०))

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)